उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 204 / 2025–26 दिनांक : 24.02.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री उदय सिंह, परिवादी
जसपुर खुर्द पशुपति विहार, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री उदय सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या--371KRD1821970 (02 किलोवाट घरेलू) का माह नवम्बर 2025 का विद्युत बिल गलत जारी किया गया है, इसमें पिछले बिल भुगतान को भी जोड़ा गया है। जबकि उनके द्वारा दिनांक 02.11.2025 को बिल का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने भुगतान किए गये बिल की धनराशि को घटाते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 11.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.12.2025 व 16.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या--8757 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर दिनांक 05.05.2025 को स्मार्ट मापक स्थापित किया गया है। परिवादी के विद्युत बिल मापक में अंकित रीडिंग के अनुसार ही निर्गत हो रहे हैं। परिवादी को दिनांक 09.11.2025 को धनराशि रू0 981.00 का बिल निर्गत किया गया था जिसका भुगतान परिवादी द्वारा न किए जाने के कारण अग्रिम बिल दिनांक 04.12.2025 के

क्रमशः 2....

बिल में उक्त धनराशि जो जोड़ दिया गया था। साथ परिवादी द्वारा जमा धनराशि रू0 947.00 दिनांक 04.09.2025 के बिल की है। वर्तमान में परिवादी द्वारा अपने पूर्ण बिल का भुगतान कर दिया गया है। यदि परिवादी को अपने परिसर पर स्थापित मापक तेज चलने का संदेह है तो परिवादी विभागीय नियमानुसार चैक मापक हेतु आवेदन कर, निर्धारित शुल्क विभाग में जमा कर परिसर पर स्थापित मापक को चैक करा सकते है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.11.2025 को परिवादी को रू0 981.00 का बिल निर्गत किया गया था, जिसका ससमय भुगतान न होने के कारण बिलिंग साफ्टवेयर में अगले माह दिनांक 04.12.2025 के बिल में उक्त धनराशि को जोड़ दिया गया था, जोकि सही है। परिवादी द्वारा जो रू0 947.00 की धनराशि जमा की गई, वो दिनांक 04.09.2025 को जारी बिल की है। वर्तमान में परिवादी द्वारा स्वतः ही अपने बिल का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र बयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 160/2025–26 दिनांक : 02/02/2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, परिवादी
बांसखेड़ा खुर्द, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड की ओर से श्री विपिन चन्द्र तिवारी का एक शिकायती पत्र दिनांक 26.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–370K000017827 (15 किलोवाट व्यवसायिक) का माह मार्च 2025 का विद्युत बिल जारी किया गया है, जिसमें 51.61 किलोवाट की असामान्य मांग दर्शाते हुए अनुचित राशि रू0 8,054.20 का अतिरिक्त मांग शुल्क लगाया गया है। माह अप्रैल 2025 में जो बिल जारी किया गया है, उसमें भी 40.44 किलोवाट की असामान्य मांग दर्ज करते हुए अनुचित राशि रू0 5,596.80 का अतिरिक्त मांग शुल्क जोड़ा गया है। जबकि उनका कनेक्टेड लोड कभी भी कनेक्टेड लोड से ज्यादा नहीं हुआ है। विद्युत बिल में गलत तरीके से लगाये गये अतिरिक्त डिमाण्ड चार्ज को ठीक कराने के लिए विभागीय कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करायी है, परन्तु विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है और न ही एम.आर.आई. रिपोर्ट दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी बिलों में लगाये गये अतिरिक्त डिमांड चार्ज को हटाते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 26.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 04.10.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.10.2025, 25.10.2025, 07.11.2025, 28.11.2025, 11.12.2025, 27.12.2025 व 16.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या—160 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

ओर से श्रीमती दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—569 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 28.11.2025 को सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन के माह मार्च 2025 तथा अप्रैल 2025 के विद्युत बिलों में लगे Excess Demand Charges क्रमशः रू0 8054.20 एवं रू0 5596.00 कुल धनराशि रू0 13651.00 को दिनांक 08.01.2026 को परिवादी के लेजर में घटा दिए गये हैं, जिसके उपरांत परिवादी पर वर्तमान में रू0 8690.00 का बकाया अवशेष है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 205 / 2025–26 दिनांक : 24.02.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती अंजू रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार, परिवादी
ग्राम बूढाफार्म, पतरामपुर, जसपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती अंजू रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–JS9PD19131980 (08 एचपी नलकूप) पर विद्युत मीटर स्थापित भी नहीं हुआ था कि विभाग द्वारा दिनांक 12.01.2025 को रू0 25777.00 का बिल जारी कर दिया गया। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय को दिनांक 15.01.2025 को लिखित शिकायत की गई थी, जिसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी द्वारा जेई एवं मीटर रीडर को साइड रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया गया था। मीटर रीडर द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2025 को मीटर की रीडिंग जांचने पर 263 केडब्लूएच दर्ज पायी गई थी। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप संयोजन के विद्युत बिल को मीटर में दर्ज पाठ्यांक के आधार पर संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 16.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 23.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.12.2025, 16.01.2026 व 31.01.2026 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार सैनी, उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय), जसपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5254 दिनांक 30.01.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) की रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी के विद्युत बीजक को वर्तमान उपभोग के अनुसार संशोधित कर दिया गया है एवं वर्तमान संशोधित बीजक में लगे सरचार्ज रू0 409.91 को सीसीबीआर के माध्यम से समायोजित भी कर दिया गया है तथा ASD Installment Amount को भी हटा कर शून्य कर दिया गया है। वर्तमान में परिवादिनी का संशोधित बिल रू0 2331.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मुयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 172/2025–26 दिनांक : 02/02/2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती रूही जहां वास्ते श्री नसीम अहमद, लक्ष्मीपुर पट्टी, मिलन मैरिज हॉल, काशीपुर। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर। — विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती रूही जहां की ओर से श्री नसीम अहमद का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372CGH2123594 (02 किलोवाट घरेलू) पर नया मीटर स्थापित होने के बाद से विद्युत बिल जारी नहीं किया गया है, जबकि आमतौर पर 10–14 तारीख तक बिल प्राप्त हो जाता था। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन का विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 24.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 01.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.11.2025, 28.11.2025, 11.12.2025, 27.12.2025 व 16.01.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–8559 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मापक के पाठ्यांक के आधार पर माह दिसम्बर 2025 तक संशोधित बिल रू0 5401.00 का निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का

क्रमशः 2....

समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 209 / 2025–26 दिनांक : 24.02.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती महेन्द्र कौर पत्नी श्री गुरदीप सिंह, **परिवादी**
ग्राम कुण्डा, जसपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती महेन्द्र कौर पत्नी श्री गुरदीप सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–JS2GK12128984 (01 किलोवाट घरेलू) का माह जुलाई 2025 तक का बिल सही आ रहा था, लेकिन अचानक अगस्त माह में 28000 हजार का बिल जारी कर दिया गया है, जोकि गलत है। इसके उपरान्त विभाग में सम्पर्क कर जानकारी ली गई कि इतना अधिक बिल कैसे बन गया है, जबकि उनका बिल तो 700–800 रूपये का ही आता था। विभाग द्वारा कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है और न ही बिल सही किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर में दर्ज रीडिंग की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 18.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.12.2025, 16.01.2026 व 31.01.2026 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार सैनी, उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय), जसपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5253 दिनांक 30.01.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) की रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 03.07.2025 को पुराना मापक परिवर्तित कर स्मार्ट मापक लगाया गया था। सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार परिवादिनी के मापक पर रीडिंग 16214 अंकित है। परिवादिनी का विद्युत बीजक उपभोग खपत के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। विगत एक वर्ष की औसत खपत के आधार पर माह 09 / 2025 की रीडिंग को संशोधित करते हुए परिवादी को 2601.00 का समायोजन दिया गया, जिसके उपरांत रू0 13076.00 का संशोधित बिल निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपखण्ड अधिकारी रिपोर्ट, संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र बर्थाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 221/2025–26 दिनांक : 24.02.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री नन्दलाल पुत्र श्री हरी लाल, परिवादी
जवाहर नगर, पंतनगर, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री नन्दलाल पुत्र श्री हरी लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC2E118134139 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल पिछले 09 महीनों से जारी नहीं किया जा रहा है। अतः संशोधित बिल जारी किए जाए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर में दर्ज पाठयांक के आधार पर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 29.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 03.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 व 30.01.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5768 दिनांक 29.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त परिसर पर दिनांक 18.04.2025 को सोलर स्मार्ट मापक स्थापित किया गया, तत्पश्चात मै0 अडानी ट्रांसमिशन द्वारा उक्त मापक को आर.ए.पी. डी.आर.पी. बिलिंग प्रणाली में अपडेट नहीं होने के कारण परिवादी को बिल निर्गत नहीं हो पा रहे थे, जिसके सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय द्वारा पत्र संख्या–5305 दिनांक 02.01.2026 के माध्यम से उक्त

क्रमशः 2....

फर्म को मापक अद्यतन किए जाने हेतु निर्देशित भी किया गया है। वर्तमान में परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर सोलर स्मार्ट मापक अद्यतन किए जाने के पश्चात् परिवादी को दिनांक 17.01.2026 को संशोधित बिल रू0 (–) 1601.00 निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र गियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 222/2025-26 दिनांक : 24.02.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बाबू राम, परिवादी
जी 22, देव रेजीडेंसी, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर-1

निर्णय

परिवादी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बाबू राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-892A906180023 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अधिक आ रहा है। पिछले महीने का बिल भी रू0 4250.00 से अधिक का आया था। इस बार भी खपत कम होने पर बिल अधिक जारी किया गया है। उन्हें संदेह है कि मीटर खराब हो गया है अधिक रीडिंग बना रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 29.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 03.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 व 30.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-475 दिनांक 14.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को लगातार मीटर रीडिंग के बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। उनका बिल विवरण जांचने पर भी बिल में अंकित रीडिंग सही पाई गई है। परिवादी की

क्रमशः 2....

संतुष्टि हेतु उनके संयोजन पर स्थापित मापक की जांच के लिए चैक मीटर हेतु पंजीकरण संख्या–21301260276 करवा दिया गया है तथा परिवादी द्वारा चैक मापक शुल्क जमा कराने पर मीटर चैक करवा लिया जाएगा। वर्तमान में परिवादी द्वारा माह 12 / 2025 के विद्युत बीजक के सापेक्ष धनराशि रू0 4197.00 का भुगतान किया जा चुका है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। परिवादी द्वारा इससे पूर्व कभी भी मीटर खराब होने अथवा तेज चलने के संबन्ध में कोई शिकायत नहीं की गई। वर्तमान शिकायत मिलने पर विपक्षी विभाग द्वारा चैक मीटर हेतु पंजीकरण कर दिया गया, परन्तु परिवादी द्वारा वर्तमान तक चैक मीटर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि उनके द्वारा विवादित बिल का भुगतान कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि परिवादी को अपने संयोजन पर स्थापित मीटर पर कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त मीटर पर वह कोई विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहता है। वर्तमान में उक्त मीटर अविवादित है तथा अविवादित मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर निर्गत समस्त बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मर्याल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 176 / 2025–26 दिनांक : 02/02/2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुलेमान पुत्र श्री साबिर, परिवादी
वार्ड नं0 06, केशवनगर, मुंडिया पिस्तौर, बाजपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री सुलेमान पुत्र श्री साबिर का एक शिकायती पत्र दिनांक 28.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–362D201084152 (01 किलोवाट घरेलू) जो उनके पिता श्री साबिर के नाम दर्ज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके परिसर पर लगभग 02 माह पूर्व मीटर बदला गया था, मीटर बदलने के बाद अचानक दिनांक 29.09.2025 को विद्युत बिल रू0 87150.00 का जारी किया गया है, जो बहुत अधिक है जबकि उनका पुराना कोई बिल बकाया नहीं है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 28.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 28.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 28.11.2025, 11.12.2025, 27.12.2025 व 16.01.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4257 दिनांक 27.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा सी0एम0 हैल्प लाईन पोर्टल में दिनांक

क्रमशः 2....

11.07.2025 को विद्युत मापक खराब होने के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करायी थी। जिसके उपरान्त अवर अभियन्ता (मापक) विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा दिनांक 21.07.2025 को परिवादी के परिसर पर स्थापित मापक को बदलकर नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया था। मापक बदलते समय सम्बन्धित अवर अभियन्ता (मापक) द्वारा परिवादी के बिल में 16115 केडब्लूएच रीडिंग दर्ज पायी गयी व पुराने मापक में 26944 केडब्लूएच रीडिंग दर्ज पायी गयी। जिसकी प्रविष्टि उनके द्वारा परिवादी के विद्युत बिल में कर दी गई जिस कारण परिवादी का माह 09 / 2025 का बिल 11334 यूनिट का बन गया था। उक्त के सम्बन्ध में मापक संख्या में भिन्नता पायी जाने पर खण्ड कार्यालय द्वारा सहायक अभियन्ता मापक से प्रतिउत्तर मांगे जाने पर सहायक अभियन्ता (मापक) कार्यालय विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 07 / वि0प0शा0बा0 / दिनांक 03.11.2025 के माध्मय से अवगत कराया गया कि मापक बदलते समय परिवादी के परिसर पर पुराना मापक 981181 मेक कॉमेट प्राप्त हुआ जबकि बिल में E16201 दर्ज था। साथ ही उक्त क्षेत्र के मीटर रीडर द्वारा भी यही सूचना अवगत करायी गयी कि परिसर पर पूर्व में भी मापक संख्या–981181 ही मौजूद था। जिससे ज्ञात होता है कि परिवादी के विद्युत मापक में उपयोग की गई रीडिंग परिवादी द्वारा उपभोग की गई है। वर्तमान में माह 11 / 2025 तक परिवादी का शुद्ध बकाया रू0 89061.00 शेष है। वर्तमान में सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर को पत्र के माध्यम से उक्त मापक को बदलने का कारण के सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु पत्र संख्या–4113 / वि0वि0ख0(बा0) / दिनांक 22.11.2025 के माध्मय से निर्देशित किया गया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने पुनः अपने पत्र संख्या–816 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर के कार्यालय पत्र संख्या–32 / वि0प0ख0 बाजपुर / दिनांक 05.01.2026 के अनुसार परिवादी के विद्युत मापक की एम.आर.आई. न हो पाने के कारण परिवादी के विद्युत मापक को जम्प मानते हुए परिवादी के विद्युत बिल में रू0 84379.25 का समायोजन देते हुए संशोधित बिल रू0 7332.75 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र भयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 227 / 2025–26 दिनांक : 24.02.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र भयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, परिवादी
एस्सार साउथ बैक ऑफ हुचिसन, किच्छा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000126459 (22 किलोवाट व्यवसायिक) के माह नवम्बर 2025 के विद्युत बिल में गलत केवीएएच दर्ज किया गया है साथ ही अनुचित रूप से रू0 9249.6 का कम पॉवर फैक्टर अधिभार भी लगाया गया है। जबकि उनके परिसर में कोई भी मोटिव लोड कनेक्टेड नहीं है। उनका पॉवर फैक्टर हमेशा 95 प्रतिशत से अधिक रहता है। विद्युत बिल में लगाये गये गलत पॉवर फैक्टर को हटाने हेतु विभागीय कार्यालय में भी सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके उपरान्त जारी बिलों में सरचार्ज जोड़ा जा रहा है, जबकि त्रुटिपूर्ण बिल में सरचार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी बिल में लगाये गये पॉवर फैक्टर अधिभार शुल्क हो हटाते हुए विलम्ब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी कराने एवं उक्त कृत्य हेतु मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 31.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 व 30.01.2026 को परिवादी प्रतिनिधि के तथा विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—5769 दिनांक 29.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन का माह 10 / 2025 व 11 / 2025 का बिल एक साथ निर्गत हुआ जिससे परिवादी के बिल में पॉवर फैक्टर 0.47 प्रदर्शित हुआ जिस कारण बिल में लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज रू0 9249.00 जोड़ा गया था। इस सम्बन्ध में परिवादी के उक्त संयोजन पर पॉवर फैक्टर की जांच हेतु खण्ड कार्यालय द्वारा पत्र संख्या—5334 दिनांक 05.01.2026 को परीक्षण खण्ड कार्यालय, रूद्रपुर को प्रेषित किया गया। जिसके उपरान्त परीक्षण खण्ड कार्यालय के प्रतिउत्तर पत्र संख्या—49 दिनांक 23.01.2026 संलग्न एम.आर.आई. रिपोर्ट के माध्यय से बताया गया कि परिवादी के उक्त संयोजन का पॉवर फैक्टर 0.99 प्रदर्शित हो रहा है। उक्त परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर की रिपोर्ट के आधार पर परिवादी के बिल में लगाये गये लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज रू0 9249.00 को घटा दिया गया है। वर्तमान में परिवादी का लेजर रू0 (—) 9249.00 प्रदर्शित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 185/2025–26 दिनांक : 02/02/2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री वैभव गुप्ता,
मैन मार्केट, काशीपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री वैभव गुप्ता का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके परिसर की बार–बार और लम्बे समय तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की शिकायत है। पिछले कई दिनों से सुबह से शाम तक बिजली नहीं आ रही है, जिससे निवासियों को काफी असुविधा हो रही है और सामान्य गतिविधियां बाधित हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर की विद्युत कटौती की समस्या को सही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 06.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 28.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 28.11.2025, 11.12.2025, 27.12.2025 व 16.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–8263 दिनांक 26.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि काशीपुर मुख्य बाजार पोषक पर स्थापित परिवर्तकों से निकलने वाली एल0टी0 विद्युत लाईन की ए0बी0 केबिल जो कि क्षतिग्रस्त हो गई थी, क्षतिग्रस्त ए0बी0 केबिल को बदलकर नई ए0बी0 केबिल डालने का कार्य किया जा रहा था। जिस कारण परिवर्तकों को आंशिक रूप से बन्द किया जा रहा था, इस कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही थी,

क्रमशः 2....

वर्तमान में ए0बी0 केबिल को बदलने का कार्य किया जा चुका है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता की लिखित रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फ़ेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 230 / 2025–26 दिनांक : 24.02.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड वास्ते श्री विकास खतरी, परिवादी
दोराहा बाजपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड की ओर से श्री विकास खतरी का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–360K00014435 (15 किलोवाट व्यवसायिक) का माह सितम्बर 2025 के विद्युत बिल में गलत केवीएएच दर्ज किया गया है साथ ही अनुचित रूप से रू0 3480.53 का कम पॉवर फैक्टर अधिभार भी लगाया गया है। जबकि उनके परिसर में कोई भी मोटिव लोड कनेक्टेड नहीं है और न ही उनका लोड कभी भी उस स्तर तक पहुंचा है। उनका पॉवर फैक्टर हमेशा 95 प्रतिशत से अधिक रहता है। विद्युत बिल में लगाये गये गलत पॉवर फैक्टर को हटाने हेतु विभागीय कार्यालय में भी सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके उपरान्त जारी बिलों में सरचार्ज जोड़ा जा रहा है, जबकि त्रुटिपूर्ण बिल में सरचार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी बिल में लगाये गये पॉवर फैक्टर अधिभार शुल्क को हटाते हुए विलम्ब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी कराने एवं उक्त कृत्य हेतु मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 31.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 16.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 16.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—817 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन के माह 09 / 2025 के विद्युत बीजक में *Low Power Factor Surcharge* लगने के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा आपत्ति की गयी है, जिसके अनुपालन में परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित मापक की एम.आर.आई. रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि संयोजन का उक्त अवधि में पॉवर फैक्टर 1 रहा है। अतः परिवादी के माह 09 / 2025 के देयक में प्रभारित *Low Power Factor Surcharge* रू0 3480.53 को खण्ड कार्यालय ज्ञाप संख्या—803 / वि0वि0ख0(बा0) दिनांक 15.01.2026 के अनुसार *CCBR* के माध्यम से परिवादी के लेजर में समायोजन दे दिया गया है। समायोजन के उपरान्त परिवादी का शुद्ध विद्युत बकाया रू0 38971.00 शेष है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप समायोजन से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप, विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र सेमवाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 197/2025–26 दिनांक : 02/02/2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, परिवादी
ग्राम मुंडिया कलां, बाजपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–360K000013335 (22 किलोवाट व्यवसायिक) का माह सितम्बर 2025 का बिल जारी किया गया जिसमें असामान्य 25018 यूनिट खपत दिखाते हुए रू0 2,09,604.00 का बिल जारी किया गया। मात्र 22 किलोवाट संयोजन के लिए 01 माह की इतनी अधिक खपत करना सम्भव नहीं है। इस धनराशि का भुगतान विरोध स्वरूप किया गया है। इसके उपरान्त अक्टूबर 2025 का बिल भी असामान्य खपत 29770 दर्शाते हुए रू0 2,44,675.00 का बिल बनाया गया है। जब उनका मीटर सही ढ़ंग से काम कर रहा था तो उनकी मासिक औसत खपत 5436 यूनिट थी, इसलिए सितम्बर 2025 से बिल संशोधित किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों की जांचकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 04.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 09.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 11.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 11.12.2025, 27.12.2025 व 16.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा तथा विपक्षी विभाग की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–818 दिनांक 15.01.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा उपलब्ध सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 26.12.2025 को परिवादी के परिसर पर चैक मापक स्थापित किया गया था तथा दिनांक 15.01.2026 को चैक मापक फाईनलाईज किया गया। दोनों मापकों में समान अन्तर आने के कारण चैक मापक को उतार लिया गया। जिससे ज्ञात होता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित पुराना विद्युत मापक सही है जिसके आधार पर परिवादी को वास्तविक यूनिट के बिल जारी किए जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की शिकायत पर विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 26.12.2025 को परिवादी परिसर पर चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 15.01.2026 को चैक मापक फाइनल किया गया, जिसमें परिवादी का पुराना मापक सही पाया गया। इस मंच का मत है कि परीक्षण में सही पाए गए मापक की रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 231/2025–26 दिनांक : 24.02.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड,
ग्राम गढ़ीनेगी, जसपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–JS0K000023743 (19 किलोवाट व्यवसायिक) का माह नवम्बर 2025 के विद्युत बिल में गलत केवीएएच दर्ज किया गया है साथ ही अनुचित रूप से रू0 7860.59 का कम पॉवर फैक्टर अधिभार भी लगाया गया है। जबकि उनके परिसर में कोई भी मोटिव लोड कनेक्टेड नहीं है और न ही उनका लोड कभी भी उस स्तर तक पहुंचा है। उनका पॉवर फैक्टर हमेशा 95 प्रतिशत से अधिक रहता है। विद्युत बिल में लगाये गये गलत पॉवर फैक्टर को हटाने हेतु विभागीय कार्यालय में भी सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके उपरान्त जारी बिलों में सरचार्ज जोड़ा जा रहा है, जबकि त्रुटिपूर्ण बिल में सरचार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी बिल में लगाये गये पॉवर फैक्टर अधिभार शुल्क हो हटाते हुए विलम्ब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी कराने एवं उक्त कृत्य हेतु मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 31.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 16.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 16.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सद्दाम अली, उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), जसपुर के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—4833 दिनांक 05.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन का विद्युत पॉवर फैक्टर शून्य होने के कारण परिवादी के माह 11 / 2025 के बीजक में *Low Power Factor* सरचार्ज धनराशि रू0 7861.00 लगाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। खण्ड कार्यालय द्वारा परिवादी के लेजर से *Low Power Factor* सरचार्ज धनराशि रू0 7861.00 की ऋणात्मक प्रविष्टि कर दी गयी है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप समायोजन से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप एवं संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र गुसाईंल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 198 / 2025–26 | दिनांक : 02/02/2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड,
इण्डियन इनफर्टिल, ग्राम देवीपुरा, जसपुर। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर। — विपक्षी

निर्णय

परिवादी प्रतिष्ठान मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–JS6H411095767 (14 किलोवाट व्यवसायिक) का विद्युत बिल सही नहीं किया गया जबकि विभागीय कार्यालय में बिल संशोधित शिकायत की गई थी। विभाग द्वारा बिल गलत जारी किए गये है जिसमें पी0एफ0 कॉलम में 8969 और 2355 दिखाया गया है और यह राशि अंतिम चार्ज राशि में डेबिट की गई है, जो निम्न है:–

Bill From	Bill To	Bill Date	Bill Amount (With LPF)	Surcharge	Rebate	Only Current Month Bill	Last Month Arrear	ASD Amount	Final Bill Amount for the month with SD	Wrong PF in Current month bill
16 May 25	29 Aug25	29 aug 25	104089	0	2260	101829	0	2622	104450	8970
29 Aug 25	24 Sep 25	24 Sep 25	29123	1272	0	30395	101829	3496	135720	2355
24 Aug. 25	27 oct 25	27 oct 25	32653	1637	0	34290	132225	4370	170885	0
				2909						11325

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या—198 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान में कोई मोटिव लोड नहीं है तथा उनका पी0एफ0 98 से अधिक है। माह सितम्बर 25 और अक्टूबर 25 के महीनों में कुल 11335 रूपये पॉवर फैक्टर कॉलम में डेबिट की गई, जोकि गलत है। दिनांक 16.10.2025 को उनके द्वारा ई—मेल के द्वारा विद्युत विभाग से बिल सुधार का अनुरोध किया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दिनांक 07.11.2025 को लगभग सायं 05 बजे उनके संयोजन की विद्युत आपूर्ति बिना किसी सूचना के काट दी गई, जिससे उनकी परिचालन गतिविधि बंद होने से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। यह जानते हुए कि 08 व 09 नवम्बर को शनिवार व रविवार होने के कारण कार्यालय बंद रहेंगे, उनको परेशान करने के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के आपूर्ति काट दी गई। इसके उपरान्त मजबूरी में उक्त त्रुटिपूर्ण बिल का पूर्ण भुगतान होने पर विभाग द्वारा दिनांक 09.11.2025 को पुनः संयोजन ऊर्जीकृत किया गया। विभाग द्वारा गलत तरीके से लगाया गया एल.पी.एफ. और एल.पी.एस.सी. वापस किया जाना चाहिए। इस तरह के अवैधानिक डिस्कनेक्शन से उनको लगभग 50,000 रूपये का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई जिम्मेदार कार्मिक से करते हुए उनको क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों की जांच कर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 04.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 09.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 11.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 11.12.2025, 26.12.2025 व 16.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सद्दाम अली, उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), जसपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—4460 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी परिसर पर स्थापित मापक में तकनीकी त्रुटि के कारण परिवादी को माह 08 / 2025 एवं 09 / 2025 के बीजक में पॉवर फैक्टर ज्यादा प्रदर्शित हो रहा है। हालांकि माह 08 / 2025 एवं माह 09 / 2025 के बीजक में पॉवर फैक्टर बढ़ने के कारण कोई अतिरिक्त चार्ज / पैनल्टी नहीं जोड़े गये हैं। इसके उपरान्त माह 10 / 2025 एवं 11 / 2025 के बीजक में पॉवर फैक्टर सामान्य / नॉरमल ही प्रदर्शित हो रहा है, जिसके दृष्टिगत परिवादी के विद्युत बीजक में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिलों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी के माह 08 एवं 09 के बिलों में पावर फैक्टर के कॉलम में 8969 और 2355 राशि दर्शाई गई है, जोकि विपक्षी विभाग के कथन के अनुसार त्रुटिवश दर्शाई गई है तथा उक्त त्रुटि के कारण बिल में कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं जोड़ी गई है। इसके उपरांत सभी बिलों में पावर फैक्टर सामान्य प्रदर्शित हो रहा है। चूंकि अगस्त व सितंबर के बिलों में पावर फैक्टर के कॉलम में उक्त राशि कतिपय तकनीकी त्रुटि से अंकित हुई है तथा बिलों की गणना एवं धनराशि पर उपरोक्त त्रुटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे में उपरोक्त दोनों प्रश्नगत बिलों में संशोधन की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा विपक्षी विभाग के इस जवाब के संबन्ध में कोई आपत्ति

क्रमशः 3....

भी प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार-करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 235 / 2025–26 दिनांक : **24.02.2026**

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रंजीत सिंह रावत पुत्र श्री नन्दन सिंह रावत, परिवादी
ग्राम प्रतापपुर, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री रंजीत सिंह रावत पुत्र श्री नन्दन सिंह रावत का एक शिकायती पत्र दिनांक 07.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371KB11228922 (04 किलोवाट घरेलू) का दिनांक 30.11.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक की अवधि हेतु जो बिल जारी किया गया है, उसमें वास्तविक खपत 397 यूनिट दर्ज की गयी है। जबकि प्रारम्भिक रीडिंग 388 व अंतिम रीडिंग 512 के हिसाब से कुल खपत 124 यूनिट आनी चाहिए। साथ ही उनके द्वारा रूफटॉप सोलर पैनल लगाया हुआ है, जिसका एडजस्टमेंट भी बिलों में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर व नेट मीटर रीडिंग की जांच करते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 07.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 14.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 16.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 16.01.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–590 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर दिनांक 15.10.2025 को स्मार्ट मापक स्थापित किया गया है। परिवादी को उसके परिसर पर स्थापित विद्युत मापक में अंकित

क्रमशः 2....

रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं। माह 10 / 2025, 11 / 2025 एवं 12 / 2025 में भी परिवादी को रीडिंग के बिल जारी किए गए हैं, जिनमें उनके सोलर पैनल में उत्पादित बिजली का भी नियमानुसार समायोजन दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिलों की प्रतियां एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किए गए हैं। साथ ही, माह 10 / 2025, 11 / 2025 एवं 12 / 2025 के बिलों में परिवादी के सोलर पैनल में उत्पादित बिजली का भी नियमानुसार समायोजन दिया गया है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 236/2025–26 दिनांक : 24.02.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 श्री शानदार इण्डस्ट्री, परिवादी
धन लक्ष्मी इण्डस्ट्रीयल, इस्टेट, ग्राम नादेही, जसपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 श्री शानदार इण्डस्ट्री का एक शिकायती पत्र दिनांक 07.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–JS0K000009940 (450 केवीए औद्योगिक) का विद्युत बिल दिनांक 03.12.2025 को धनराशि रू0 7,25,147.00 का जारी किया गया है। इसके उपरान्त दिनांक 13.12.2025 को अतिरिक्त शुल्क जोड़ते हुए पुनः धनराशि रू0 7,46,584.00 का बिल जारी किया गया है। अतः एक माह में 02 बिल जारी किए गये हैं, इसकी जांच की जाए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी बिलों की जांच कर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 07.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 14.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 16.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 16.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सद्दाम अली, उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), जसपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5003 दिनांक 14.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के औद्योगिक संयोजन पर स्मार्ट मीटर स्थापित है तथा बिलों का सृजन एमडीएम (MDM) डेटा के माध्यम से किया जाता है। परिवादी का प्रथम बिल दिनांक 03.12.2025 में तकनीकी त्रुटि पाई जाने के कारण निरस्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर दिनांक 13.12.2025 को संशोधित/शुद्धिकृत नया विद्युत बिल निर्गत किया गया है। परिवादी द्वारा

क्रमशः 2....

जिसका भुगतान किया जाना है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप *RAPDRP* रिपोर्ट एवं संशोधित बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिसंबर माह में परिवादी को दिनांक 03.12.2025 को रू0 7,25,147.00 का बिल प्रेषित किया गया। विपक्षी विभाग का कथन है कि उक्त बिल की गणना एमडीएम डाटा के आधार पर की गई थी, जिसकी वजह से बिल में तकनीकी त्रुटि हो गई थी। इसके उपरांत उक्त बिल को निरस्त करते हुए दिनांक 12.12.2025 को पुनः त्रुटिरहित संशोधित बिल रू0 7,46,584.00 निर्गत किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त संशोधित बिल का ही भुगतान किया जाना है। विपक्षी विभाग के जवाब दावे से स्पष्ट है कि परिवादी को दिसंबर माह में दो बार बिल निर्गत नहीं किया गया, अपितु पूर्व में निर्गत त्रुटिपूर्ण बिल को निरस्त कर संशोधित बिल निर्गत किया गया है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 228 / 2025–26 दिनांक : 25.02.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र गयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 भारती एयरटेल वास्ते श्री सुनिल कुमार, परिवादी
आवास विकास, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर—1

निर्णय

परिवादी मै0 भारती एयरटेल की ओर से श्री सुनिल कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—896B311155494 (11 किलोवाट व्यवसायिक) के माह अक्टूबर 2025 के विद्युत बिल में गलत केवीएएच दर्ज किया गया है साथ ही अनुचित रूप से रू0 2180.40 का कम पॉवर फैक्टर अधिभार भी लगाया गया है। जबकि उनके परिसर में कोई भी मोटिव लोड कनेक्टेड नहीं है। उनका पॉवर फैक्टर हमेशा 95 प्रतिशत से अधिक रहता है। विद्युत बिल में लगाये गये गलत पॉवर फैक्टर को हटाने हेतु विभागीय कार्यालय में भी सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके उपरान्त जारी बिलों में सरचार्ज जोड़ा जा रहा है, जबकि त्रुटिपूर्ण बिल में सरचार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी बिल में लगाये गये पॉवर फैक्टर अधिभार शुल्क हो हटाते हुए विलम्ब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी कराने एवं उक्त कृत्य हेतु मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर—1 को अपने पत्र दिनांक 31.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 व 30.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या–228 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–689 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 14.12.2025 को स्मार्ट मीटर संख्या–13503283 स्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा अपने माह 10 / 2025 के विद्युत बीजक को सही करने हेतु आवेदन किया गया है, तो इस सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय द्वारा मै0 अडानी एनर्जी सोल्यूशन से उक्त अवधि के पुराने मापक संख्या–8587179 की एम.आर.आई. रिपोर्ट मांगी गयी थी। इसके उपरान्त परिवादी के उक्त संयोजन पर स्थापित पुराने मापक संख्या–8587179 की एम.आर. आई. रिपोर्ट जांचने पर पाया कि परिवादी के माह 10 / 2025 एवं 09 / 2025 के विद्युत बीजक में प्रभारित लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज की धनराशि रू0 2182.00 एवं रू0 1295.80 त्रुटिवश प्रभारित होकर आ गई थी। जिसके उपरान्त परिवादी के पुराने मापक संख्या–8587179 की एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर परिवादी के माह 10 / 2025 एवं माह 09 / 2025 के विद्युत बीजक में प्रभारित लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज की धनराशि रू0 2182.40 एवं रू0 1295.80 कुल धनराशि रू0 3478.20 का समायोजन परिवादी के विद्युत बीजक में दे दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र सेमवाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 229 / 2025–26 दिनांक : 25.02.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड वास्ते श्री विकास खतरी, **परिवादी**
देव होम, बिगवाड़ा, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड की ओर से श्री विकास खतरी का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–890K000205000 (22 किलोवाट व्यवसायिक) का माह अगस्त 2025 के विद्युत बिल में गलत केवीएएच दर्ज किया गया है साथ ही अनुचित रूप से रू0 4887.93 का कम पॉवर फैक्टर अधिभार भी लगाया गया है। जबकि उनके परिसर में कोई भी मोटिव लोड कनेक्टेड नहीं है और न ही उनका लोड कभी भी उस स्तर तक पहुंचा है। उनका पॉवर फैक्टर हमेशा 95 प्रतिशत से अधिक रहता है। विद्युत बिल में लगाये गये गलत पॉवर फैक्टर को हटाने हेतु विभागीय कार्यालय में भी सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके उपरान्त जारी बिलों में सरचार्ज जोड़ा जा रहा है, जबकि त्रुटिपूर्ण बिल में सरचार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी बिल में लगाये गये पॉवर फैक्टर अधिभार शुल्क हो हटाते हुए विलम्ब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी कराने एवं उक्त कृत्य हेतु मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 31.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 व 30.01.2026 को परिवादी

क्रमशः 2....

प्रतिनिधि के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–688 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 15.11.2025 को स्मार्ट मीटर संख्या–13501302 स्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा अपने माह 08/2025 के विद्युत बीजक को सही करने हेतु आवेदन किया गया है, तो इस सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय द्वारा मै0 अडानी एनर्जी सोल्यूशन से उक्त अवधि के पुराने मापक संख्या–9148891 की एम.आर.आई. रिपोर्ट मांगी गयी थी। इसके उपरान्त परिवादी के उक्त संयोजन पर स्थापित पुराने मापक संख्या–9148891 की एम.आर. आई. रिपोर्ट जांचने पर पाया कि परिवादी के माह 08/2025 के विद्युत बीजक में प्रभारित लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज की धनराशि रू0 4887.93 त्रुटिवश प्रभारित होकर आ गई थी। जिसके उपरान्त परिवादी के पुराने मापक संख्या–9148891 की एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर परिवादी के माह 08/2025 के विद्युत बीजक में प्रभारित लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज की धनराशि रू0 4887.93 का समायोजन परिवादी के वर्तमान विद्युत बीजक में दे दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 232 / 2025–26 दिनांक : 25.02.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री सरमुख सिंह, परिवादी
विक्रमपुर, बाजपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री सरमुख सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 01.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–360K000006839 (15 किलोवाट) का माह दिसम्बर 2025 का विद्युत बिल रू0 442535.00 का जारी किया गया है, जो कि बहुत अधिक है। वह इतना अधिक बिल जमा करने में असमर्थ है। बिल संशोधित कराने हेतु विभागीय कार्यालय में भी सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 01.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 16.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 16.01.2026 व 31.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–812 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का उक्त संयोजन नॉन के0सी0सी0 से के0सी0सी0 में स्थानान्तरण होने के कारण परिवादी को वास्तविक यूनिट के बिल प्रेषित नहीं हो पा रहे थे। माह

क्रमशः 2....

10 / 2025 में जिस कारण परिवादी के मापक में दर्ज समस्त यूनिट का बिल बनाया गया, जिससे परिवादी का विद्युत बिल बढ़ गया। इसके उपरान्त माह 12 / 2025 में प्राप्त एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का माह 12 / 2024 से माह 11 / 2025 तक का विद्युत बिलों को पुनः संशोधित करते हुए रू0 21931.00 का समायोजन दे दिया गया है। जिसके उपरान्त परिवादी का वर्तमान शुद्ध बकाया रू0 272603.00 शेष है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र प्रयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 238/2025–26 दिनांक : 25.02.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रविन्द्रनाथ पुत्र स्व0 श्री रामचरण, परिवादी
जी 45–46, वार्ड नं0 03, ट्रॉजिट कैम्प, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री रविन्द्रनाथ पुत्र स्व0 श्री रामचरण का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8922006075726 (02 किलोवाट घरेलू) पर सोलर सिस्टम लगाया गया है। सोलर सिस्टम लगे 04 माह बीत गये है, परन्तु विभाग द्वारा न तो रीडिंग ली जा रही है और नही बिल जारी किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विभागीय टोल–फ्री नं0 1912 पर भी शिकायत दर्ज करायी गई और विभागीय कार्यालय में भी सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित सौलर सिस्टम को विभागीय अभिलेखों में दर्ज कराते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 15.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–869 दिनांक 29.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त परिसर पर दिनांक 08.10.2025 को सोलर

क्रमशः 2....

विद्युत मापक स्थापित किया गया जिसके उपरान्त परिवादी का बिलिंग प्रणाली में आ रही तकनीकी समस्या के कारण विद्युत बीजक निर्गत नहीं हो पा रहा था। परिवादी के विद्युत बीजक को निर्गत करने में आ रही तकनीकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। साथ ही वर्तमान में परिवादी का दिनांक 20.08.2025 से दिनांक 29.01.2026 तक Import reading 167 KWH में Export reading 1404 KWH का समायोजन देते हुए रू0 4881.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज--1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र गुँयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 241 / 2025–26 दिनांक : 25.02.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री अशोक कुमार,
फुलसुंगी, कृष्णा विहार, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री अशोक कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A212454346 (02 किलोवाट घरेलू) का दिनांक 17.12.2025 से दिनांक 13.01.2026 तक के बिल की गणना में त्रुटि है। बिल में 0–100 यूनिट के लिए 3.25 की दर बताई गयी है, लेकिन केवल 88 यूनिट के लिए ही 3.25 की दर से गणना करते हुए बिल बनाया गया है। जबकि 0 और स्लैब 1 की गणना में यूनिटों की संख्या कम है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल की गणना की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 15.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.01.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–868 दिनांक 29.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के माह 01 / 2026 में निर्गत विद्युत बीजक का अवलोकन करने पर पाया गया है कि उक्त विद्युत बीजक 27 दिन का है, जिसके अनुसार प्रभारित

क्रमशः 2....

किए गये स्लैब के अनुसार विद्युत बीजक सही है। वर्तमान में परिवादिनी द्वारा दिनांक 13.01.2026 को निर्गत विद्युत बीजक की धनराशि रू0 4784.00 का भुगतान भी दिनांक 16.01.2026 को कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 13.01.2026 को परिवादिनी को प्रेषित रू0 4784.00 का बिल 27 दिनों की खपत का बिल है, जोकि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ दरों के अनुसार सही एवं नियमानुकूल है तथा उक्त बिल पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य